न्यायालय :— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :—316/2026
उत्पन्न उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या :—50/2026

1. आशा देवी उम्र लगभग 50 वर्ष, पति—राजेश कुमार उर्फ पवन यादव साकिन—पिपरा करोटी, वार्ड नं0—02, थाना—उदाकिशुनगंज, जिला—मधेपुरा।
—आवेदक/अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार — विपक्षी

अग्रिम जमानत आदेश

15—05—2026 अभियुक्त आशा देवी का अग्रिम जमानत आवेदन जो उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या—50/2026 अन्तर्गत धारा—69, 105, 140(1), 3(5), 103(1), 238, 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता से संबंधित है, विद्वान अधिवक्ता श्री मो0 इशतियाक रहमानी द्वारा आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदिका बिल्कुल निर्दोष है जिसने ऐसा घटना कारित नहीं किया जैसा आरोप उनके विरूद्व लगाया है। आवेदक को द्वेष तथा दुर्भावना के कारण झुठे मुकदमा में फंसाया गया है तथा आवेदिका के विरूद्व लगाए गए सभी आरोप अविश्सनीय तथा झूठे हैं। प्रस्तुत मामले में आवेदिका की संलिप्तता के संबंध में कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है, इसलिए उसके विरूद्व मामला नहीं बनता है। विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि पुलिस अनुसंधान के कम में यह बात सामने आई है कि सूचक तथा उसके परिवार वालों द्वारा अलका कुमारी की हत्या कारित किया गया है तथा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, परंतु इसके विपरीत अभियोजन पक्ष के सदस्यों पर ही मामला बनाकर निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसा दिया गया। आगे कथन करते हैं कि यह मानना असंभव है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त रितुराज तथा मृत्तका अलका कुमारी के बीच अवैध संबंध की जानकारी नहीं थी, यद्यपि संबंध सत्य भी होता तो आवेदिका के विरूद्व मामला नहीं बनता है। आवेदिका एक वृद्ध महिला है तथा सहानुभूति की पात्र है। अतः आवेदिका अभियुक्ता को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाए।

Satish Kumar 15-05-26

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि सूचक की पुत्री अलका कुमारी को ऋृशुराज उर्फ बाबु ने शादी का झांसा व बहला—फुसलाकर अवैध संबंध बना लिया जिससे अलका गर्भवती हो गई, जिसका कोई जानकारी नहीं सूचक व परिवार के लोगो को नही हो सका।

—लगातार

न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–316/2026
उत्पन्न उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या :–50/2026
–2–

लगातार
15–05–26

– दिनांक 12.02.2026 को करीब 2 बजे अलका को ऋृशुराज उर्फ बाबू अपनी बहन से अनुमंडल अस्पताल हरैली लेकर आया और भर्ती करा दिया, जहाँ अलका ने एक बच्चे को जन्म दिया तथा इस जानकारी पर सूचक की पत्नी रश्मि एवं पुत्री आकांक्षा एवं दामाद विकास कुमार निजी वाहन से अस्पताल पहुँचे और देखा कि अलका बेहोशी की हालत में बेड पर पडी हुई है एवं ऋृशुराज उर्फ बाबू, सोनी कुमारी उर्फ नंदिता, आशा देवी, स्वीटी देवी अलका के बच्चे को लेकर अस्पताल से भाग गया तथा अलका को बेहतर इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज ले जाने हेतु कुछ सामान लेने के लिए पुत्री के साथ घर आ रहे थे कि रास्ते मे अलका की मृत्यु हो गई। सूचक के पुत्री की मृत्यु का कारण उपरोक्त व्यक्ति के लापरवाही के कारण हुई है।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी, कांड दैनिकी एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा–69, 105, 140(1), 3(5) बी0 एन0 एस0 के अन्तर्गत दर्ज की गई है। वाद मे धारा– 103(1), 238, 61(2), 3(5) बी0 एन0 एस0 का समावेश किया गया है। आवेदिका प्राथमिकी नामजद अभियुक्ता नहीं है बल्कि आवेदिका के पति ही कांड के सूचक है जिन्होने अभियोग लगाया है कि प्राथमिकी अभियुक्तों द्वारा उसकी पुत्री (मृत्तका) को प्रसव के दौरान अनुमंडलीय अस्पताल में उपेक्षित छोड़ दिया गया जिसकी स्थिति बिगड़ने के बाद मेडिकल कॉलेज मधेपुरा लाने के क्रम में मृत्यु हो गई तथा नवजात बच्चे को भी वे लोग लेकर भाग गये।

परंतु अनुसधान के क्रम में यह बात सामने आई कि मामला प्रतिष्ठा के लिए हत्या (Honour killing) का है। कांड दैनिकी के पारा–69 में प्राथमिकी अभियुक्त ऋृशुराज उर्फ बाबू का स्वीकारोक्ति बयान है जिसमें उसने अपने परिवार के लोगों की संलिप्तता के बारे में बताया है जिसमें आवेदिका भी सम्मिलित है। पारा–53 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका भी उक्त अस्पताल में मौजूद थी।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदिका को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आवेदिका की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
Satish Kumar
15.05.26
(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।